उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1
संख्या-273572/XXVIII-1/2024/E.NO-74396
देहरादूनः दिनांकः 06 फरवरी, 2025

कार्यालय ज्ञाप

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या–1/221105/2024 दिनांक 28.06.2024 के माध्यम से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों (केवल क्लीनिक विधा के चिकित्सकों) की अधिवर्षता आयु लोकहित में 60 वर्ष के स्थान पर 65 वर्ष करने का निर्णय कतिपय शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2– विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों (केवल क्लीनिक विधा के चिकित्सकों) की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से 65 वर्ष किये जाने के कम में विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों की सेवा की प्रास्थिति में यह उल्लिखित किये जाने कि 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक पद एवं वित्तीय दायित्वों का प्रभार नहीं दिया जायेगा एवं उनकी तैनाती मुख्य परामर्शदाता के रूप में ढांचे के अन्तर्गत उनकी विधा के उपलब्ध रिक्त पदों पर की जायेगी, के कारण विभाग की प्रशासकीय आवश्यकता तथा विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों की तैनाती/वेतन निर्धारण एवं कतिपय कठिनाईयां परिलक्षित होने के दृष्टिगत शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में अधिसूचना संख्या–1/221105/2024 दिनांक 28.06.2024 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों में निम्नलिखित प्रावधानों को सम्मिलित किया जाता है:–

1. विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों (केवल क्लीनिकल विधा के चिकित्सकों) द्वारा विकल्प दिये जाने पर 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात उनकी तैनाती राज्य की विभिन्न चिकित्सा ईकाईयों में सृजित विशेषज्ञ चिकित्सक के उनकी विधा के उपलब्ध रिक्त पद पर मुख्य परामर्शदाता के नाम से उनके 60 वर्ष की आयु पूर्ण होते समय धारित वेतनमान पर की जायेगी।
2. ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को अग्रेत्तर पदोन्नति प्रदान नहीं की जायेगी। चिकित्सक को वेतन वृद्वि एवं अन्य सेवा लाभ, सेवा के दौरान एवं सेवानिवृत्ति पर राजकीय कार्मिकों की भांति ही नियमानुसार अनुमन्य होंगे।
3. मुख्य परामर्शदाता की तैनाती विभाग द्वारा स्थापित नियमों के अनुसार की जायेगी तथा स्थानान्तरण संबंधी एवं अन्य समस्त सुसंगत राजकीय कार्मिकों पर लागू होने वाले नियम उक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों पर भी लागू होंगे।

3– अधिसूचना संख्या–1/221105/2024 दिनांक 28.06.2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के ई–ऑफिस के माध्यम से ई–जनरेट संख्या–1/272756/2025 दिनांक 04.02.2025 में प्राप्त सहमति के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by
Rajan Rajesh Kumar (डा0 आर0 राजेश कुमार)
Date: 06-02-2025 16:18:34 सचिव।

संख्या-22/XXVIII-1/2024/E.NO-74396, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निदेशक राजकीय मुद्राणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित करवाते हुए 100 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. कुलपति, एच0एन0बी0, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निदेशक (अधिष्ठान), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
9. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by
Anoop Kumar Misra
Date: 06-02-2025 17:08:19
(अनूप कुमार मिश्र)
उप सचिव।